Recommendation of Government of Maharashtra regarding Zudpi Jungle

1831. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) what is the recommendation made by the Government of Maharashtra to the Government of India in the matter of the 'Zudpi Jungle' in the Vidarbha region of Maharashtra;

(b) what is the response of Government thereto; and

(c) when the decision will be taken on this issue?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABULAL MARAN-DI): (a) and (b) The issue of 'Zudpi Jungle' was discussed in details with the State Government in January 1992 and in pursuant to these discussions, detailed guidelines were issued by the Ministry on 12.2.92 regarding these areas. As per these quidelines land shown as 'Zudpi Jungle' in revenue records will continue to be treated as forest land under Forest (Conservation) Act, 1980. The State Government however, requested for exclusion of certain category of areas of 'Zudpi Jungle' from the purview of Forest (Conservation) Act, 1980, It was made clear to the State Government in the guidelines of 1992 and also by another committee constituted on 'Zudpi Jungle' in 1996 by the Ministry, that for exclusion of those part of 'Zudpi Jungle' which have already been used for certain non-forestry purpose in the past, but corresponding entries have not been made in revenue records, specific proposals will be sent by the State Government for approval of Central Government under Forest (Conservation) Act, 1980.

(c) Formal proposals under the Forest (Conservation) Act, 1980, as mentioned above have not been received from the State Government so far. Therefore, the question of taking a final decision on the issue of 'Zudpi Jungle' areas does not arise.

वनरोपण के संबंध में उपायों संबंधी सुझाव देने वाली समितियां

1832. **श्री बरजिन्दर सिंह**:

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:

क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ समितियों का गठन कर उनसे कुल भुमि के एक-तिहाई भाग पर वनरोपण के संबंध में उनके सुझाव मांगे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इन समितियों ने सरकार को अपनी-अपनी रिपोटें प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाई की है?

(घ) सरकार ने प्रत्येक समिति की रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्रवाइ की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबूलाल मरांडी): (क) जी, हां । सरकार ने वनीकरण नीतियो और बंजरभूमि की पुनःस्थापना की समीक्षा करने के लिए श्री ए. के. मुखर्जी, वन महानिरीक्षक (सेवा निवृत्त) की अभ्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित थेः–

1. वनीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथ देश में वनीकरण गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अथोंपायों के साथ-साथ वित्त पोषण में वृद्धि के उपायों क सुझाव देना ।

2. वनीकरण प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के मौजूदा संस्थागत प्रंबधों की समीक्षाअ करना तथा बेहतर कार्यक्षमता और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपतुक्त फेरबदल करने के बारे में सुझाव देना ।

3. देश में संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए संयुक्त वन प्रबन्धन संबंधी विशेषज्ञ दल की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त परिवर्तन के लिए सुझाव देना ।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31.1.98 को प्रस्तुत की थी ।

(ग) समिति मै सिफारिश की है कि भविष्य में भारत में वनीकरण तथा संयुक्त वन प्रबन्धन कार्यनीति पर कार्य निन्मलिखित सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

1. वनक्षेत्र के अधीन कुल भू-क्षेत्र के 33 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 100 मि. है. भू-क्षेत्र को वन/वृक्षाछादित क्षेत्र के अन्तर्गत लाया जाना आवश्यक है। इसका अर्थ है कि करीब 70 मि. है. दर्ज की हुई वनभूमि तथा मि. है. सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की अतिरिक्त बंजर भूमि को वनिकी प्रयोजनों के लिए अलग से रखा जाना है।

2. इन गतिविधियों से 15.5 मि. हैक्टेयर वन रिक्त क्षेत्र में सहायता युक्त प्राकृतिक पुनरूत्पादन, 15.5. मि. है। अवक्रमित वन भूमि में पुनरूत्पादन, वनीकरण और सिल्वीपास्पर हो सकेगा तथा सार्वजनिक तथा निजि क्षेत्र की बंजर भूमियों का 30 मि. है. अतिरिक्त क्षेत्र, कृषि-वानिकों, फार्म वानिकि, वन चारागाह आदि के माध्यम से वनीकरण के अंतर्गत लाया जा सकेगा।

3. यदि अगले 20 वर्षो में 33 प्रतिशन्त का राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्त करना हो तो इसस वार्षिक वनीकरं और सहायतायुक्त प्राकतिक वनोत्पादन और वन चारागाह क्षेत्र बढ़कर . मि. है. हो जाएगा। चालू वार्षिक दर मात्र 1.2 मि. है. है। अतः कार्य काफी बढ़ा है और इसे सम्पन्न करने के लिए सरकारी मशीनती की कार्य क्षम्ता को सुदृढ़ करने तथा आधुनिक पद्धियों और प्रोद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता होगी।

4. वन हमारी राष्ट्रीय परिसम्पत्तिया है और यदि इनका प्रबन्धन ठीक प्रकार किया जाए तो इनसे नवीन संसाधन उपलब्ध हो सकते है। उनका प्रबन्धन, उपयोग और परिक्षण ऎसी नीतियों और कार्य नीतियों के अनुसार किया जाना चाहिए जिनमें वनों के दीर्घावधिक परिक्षरण और सतत विकास के लिए उनके परिस्थितिकीय महत्व और नवीन संसाधन संबंधी पहलु पर ध्यान केन्द्रित किया गय हो।

5. वनों की उत्तरजीविता, वनों में रहने वाले समुदायों तथा वनों के आस-पास रहने वले वन-आश्रित ग्रामिणॉ से अन्तर-सम्बद्ध है। संयुक्त वन प्रबधन द्वारा भाविष्य की वनीकरण और वन पुनःस्थापन कार्यनीति में ऎसे समुदायों की संस्कृति और उनके अधिकारों को मान्यता देने तथा उनकी सहायता के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि के विकास, संरक्षण और सतत उपयोग के ले उक्त ग्रामीण अपना पारितोषिक प्राप्त कर सके।

6. अवक्रमित वन भूमियों और अन्य बंजर भूमियों के विकास संबंधी भविष्य कि किसी भी कार्यनीती मेम अक्षय ऊर्जा के सतत और पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल स्त्रोतों अर्थात चारा, लकडी और इमारती लकडी पर ध्यान देना चाहिए। घने प्राकृतिक वनों पर पड़ने वाले दबावों को कम करने तथा स्थानीय निवासियों की पर्याप्त भागीदारी से ग्रामीण रोजगार तथा विकास कार्य सुनिश्चित करने के लिए पारिस्थिकीय रख-रखाव संबंधी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और उन्हे और व्यापक बनाना चाहिए।

7. अवक्रमित वन भूमियों सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भूमियों के वनीकरण और पुनःस्थापन संभंधी पद्धति बहुक्षेत्रीय होनी चाहिए और इस प्रकार के अन्य क्षेत्रो में किए जाने वाले क्रिया-कलापो, जैसे कृषि, पशु-पालन, ग्रामीण विकास, जनजाति विकास तथा ढांचागत व्यवस्था आदि में कार्यनीति पर उनके निहितार्थो पर ध्यान देना चाहिए।

8. अवक्रमित वन भूमियों के वर्गीकरण और पुनर्वास की भावी नीति के अन्तर्गत समस्त स्वीकृत पणधारियों (स्टेकहोल्डर्) की भूमिका पर विचार विमर्श किय जाए, उनकी सहभागिता सुनिश्चित की जाए तथा उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाए।

9. वनिकी के लिए अन्तराष्ट्रीय एजेंसियों, विशेषकर जैव-विविधता, जलवायु परिवर्तन, मरूस्थल कम करना आदि से संबंधित कन्वेशनों के सन्दर्भ में कार्यसूची 21 और जी ई एफ से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

10. वनों की बेहतरी के लिए दावानल नियंत्रण।

11. अवक्रमण की रोकथाम के लिए वन क्षेत्र में चराई विनियमन।

12. सम्पूर्ण देश में परती भूमियों का उपयुक्त मुल्यांकन और निर्धारण।

इन सिद्धांतो के आधार पर समिति ने निम्नलिखित सिफारिशे की है:—

संसाधन गतिशिलन

1. वनीकरण कार्यक्रम के लिए योजना आयोग से अधिक धनराशि प्राप्त करने के लि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रबल प्रयास किए जाने होंगे। इसके आगे समिति यह सिफारिश करती है कि पर्यावरण एवं वन मंत्री, भारत सरकार द्वारा वनीकरण हेतु उपलब्ध घनराशि को बढ़ाने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ यह मामला उठाया जाना चाहिए।

2. वन क्षेत्रों में और उनके आस-पास स्थित दो लाख गावों में वनीकरण कार्यकलाप और जे.एफ.एम.

कार्यकलापों के बेहतर कार्यन्वयन हेतू अधिक धनराशि जुटाने के लिए, समिति डी.आर.डी.ए. की भांति संयुक्त वन प्रवन्ध एंव विकास एजेंसी (जे.एफ.एम.डी.ए.) के सृजन के पक्ष में है।

3. प्रत्येक राज्य को चाहिए कि वह वन उत्पाद कि बिक्री से एकत्रित अपने राजस्व का अधिकतम 25 प्रतिशत भाग, वन विभाद के अन्तर्गत वनों के पुनर्वास और प्राकृतिक वन में पुनर्निवेशित किया जा सके।

4. वनीकरण कार्यकलापों में निवेश के लिए प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की वार्षिक बिक्री का कम से कम 1 प्रतिशत उपकर निधि की स्थापना के लिए।

5. नई परियोजनाओं की परियोजना लागत का 5% जल विद्युत परियोजनाओं में और कैचमेंट और कमाण्ड क्षेत्रों के वनीकरण के लिए वर्तमान परियोजनाओं कि वार्षिक प्रचालन लागत का एक प्रतिशत, निवेश निधि की संस्थापना के लिए।

6. कम ब्याज की दरों पर अवक्रमिक भूमियों के पुनःस्थापन के लिए संस्थागत वित्त व्यवस्था की सभावना का पता लगाना तथा 15 वर्ष अथवा अंतिम फसल कटाई, जो भी पहले हो, तक के लिए ऋणों के भुगतान को स्थागित करना । समिति ने पुनः यह सिफारिश की है कि राज्य वन निगमों द्वारा उगाये जाने वाले पौधों का मूल्याकंन पारिस्थितिकीय और निदेशित आर्थिक लाभों ध्यान में रखते हुए किया निगमों की तत्पर वनीकरण परियोजनाओं के विकास के लिए स्थानीय उद्यमियों की पहचान करने मे सहायता करनी चाहिए।

7. पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा वनीकरं गतिविधियों, विशेषकर विश्व पर्यावरणीय सुविधा तथा कार्यसूची के अन्तर्गत निर्धारित गतिविधियों में तेजी लाने के लिए अन्तराष्ट्रीय संस्थानों / डोनर फाइनेंसिंग़ को आकर्षित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

8. रीफ्रैक्टरी तथा अत्यधिक अवक्रमिक वन भूमियों तथा इस तरह की वनभूमियों मे समुचित प्रयोग के लिए उच्च प्रोद्योगिकी आधारित वन-रोपण में सहकारी समितियों तथा वन विकास निगम को शामिल करना।

9. भूमि के अधिग्रहण में छूट केवल निजी भूमियों पर लीज आधार पर वनरोपण करने के लिए दि जानी चाहिए।

संस्थागत और नीतिगत मामले:

1. आर्थिक सहायता, कर ऋण तथा वनीकरण विकास के लिए अन्य प्रोत्साहनों के बारे में नीति बनाने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन करना।

2. वानिकी तथा अन्य क्षेत्रों जैसे कृषि, पशुधन, शहर को हरा-भरा बनाने आदि जैसे अन्य क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करना ताकि वानिकी को विकल्पी प्रयोग प्रणाली का एक हिस्सा बनाया जा सके।

3. समिति ने संयुक्त वन प्रबन्धन संभंधी राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड के विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट की समीक्षा की है और उक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सभी सिफारिशों को कतिपय संशोधनोम के बाद कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

4. समिति, राष्ट्रीय वनीकरण और पारि-विकास बोर्ड और राष्ट्रीय भूमि विकास बोर्ड का विलय करने की सिफारिश करती है और यह भी सिफारिश करती है कि उपरोक्त संगठनों कि अध्यक्षता व्यावसायिक वन-विशिषज्ञों द्वारा की जानी चाहिए।

5. पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा राज्य वन विभागों मे संयुक्त वन प्रबंधन के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाना।

6. पर्यावरण और वन मंत्रालय में नीति विकास केन्द्र स्थापित करना।

7. भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जी.आई.एस. के प्रयोग द्वारा बंजर भूमियों का मूल्याकंन किया जाना चाहिए।

8. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा विस्तान गतिविधियों को तेजी से सम्पन्न किया जाना चाहिए और अच्छी क्वालिटी की पौध सामग्री के उत्पादन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बीज और पौध-सामग्री के अधिप्रमाणन एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को प्रयोग कर्त्ताओं के सहयोग से प्रदर्शन "ट्रायल" करने चाहिए।

9. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को उपयुक्त उत्पादन आंकड़ इकट्ठ करना चाहिए तथा वन संबंधी काष्ठ रहित उत्पादों के प्रयोग और विपणन तथा व्यापार संबंधी नीतियों को मोनिटर करना चाहिए।

10. समिति ने क्षेत्रीय विशेषज्ञ दल गठित करके वनीकरणं मामले पर क्षेत्रीय परामर्श करने की अनुशंसा की है।

11. जैव विविधता और मरूस्थलीकरण नियंत्रण प्रभाद में वन महानिरीक्षक स्तर के अधिकारी कि नियुक्ति की जानी चाहिए तथा सचिव और पर्यावरण एवं वन मंत्री को प्रस्तुत किए जाने वाली सभी फाईले वन महानिरिक्षक के माध्यम से तथा फाइले विशेष सचिव मे माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

12. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थिकीय विकास बोर्ड की चराई नीति रिपोर्ट के क्रियान्वयन के लिए ।

(घ) समिति की रिपोर्ट पर सरकार सक्रियता से विचार कर रही है ।

Effect of global wanning on forests in Western Ghats

1833. DR. Y. LAKSHMI PRASAD: Will the Minister of ENVIORNMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the report in 'Asian Age' dated August 30, 1997, attributed to scientists of the Indian Institute of Science, to the effect that there would be wide-scale shifts in forest boundaries and changes in vegetation in Western Ghats in the years to come, as a result of global warming;

(b) if so, the details of the studies made by the Institute in this regard; and

(c) the steps taken and plans laid down to prevent the adverse effect of global warming?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI BABU LAL MARANDI): (a) Yes, Sir.

(b) The study is stated to have been sponsored by Swedish International Development Agency (SIDA) and is understandably not yet published/ printed. As per the details supplied by the author, regional assessments of climate change impacts on forest was conducted in two regions of the Western Ghats; Uttara Kannada district and the Nilgiri Hills. Climate Change projections for 2020 and 2050 were used in assessing the impacts on forests. The study anticipates that in an event of projected global warming, there will be a shift in forest types in the Western Ghats which might affect the availability of forest products and the employment level among the people in the region. Author(s) conclude by saying that given the uncertainties regarding the model based regional projections of climate change and vegetation response, the findings should be cautiously considered more as an indicator of the direction of change.

(c) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UN-FCCC) which enjoins upon signatory country parties to take precautionary measures to anticipate, prevent and minimise the causes of climate change and mitigate its adverse effects has been ratified by India on November 1, 1993.

In accordance with the provisions of UN-FCCC, India is not required to adopt a national greenhouse gas or carbon dioxide reduction target. It also needs to be underlined that India's past and present contributions to global Green House Gas (GHG) emissions are not significant. The bulk of the earlier GHG emissions build-up , is on account of industrialized countries, which are even today the largest sources of GHG emissions.

India's approach towards implementation of the framework Convention and associated environmental matters is covered within policy declarations, namely, National Conservation Strategy and Policy Statement on Environment and Development (1992) and a Policy Statement on Abatement of Pollution (1992) for regulating various environmental parameters.

In addition, various other enactments such as the Air Pollution (Prevention and Control) Act, 1981, amended in 1987 and Motor Vehicles Act, 1939 amended in 1988 and Forest Conservation Act, 1980 amended in 1988 contribute significantly towards minimising the causes of global